

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

पत्रांक- प्र0-III/ वृ0 ख0-07 / 15..... / एम0, पटना, दिनांक-
प्रेषक,

E-mail/
Fax

अंशुली आर्या, भा0 प्र0 से0,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

समाहर्ता,
अररिया / बेगुसराय / बेतिया / गोपालगंज / कैमूर / किशनगंज / मधुबनी / मुंगेर /
सारण / सहरसा / शेखपुरा / सीवान / सुपौल एवं वैशाली।

विषय:- जिला खनिज फाउन्डेशन के न्यासी बोर्ड के गठन के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय अधिसूचना-2197 / एम0, दिनांक-23.05.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय अधिसूचना के आलोक में कहना है कि बिहार जिला खनिज फाउन्डेशन नियमावली, 2018 के तहत जिलास्तर पर 'जिला खनिज फाउन्डेशन' के न्यासी बोर्ड का गठन करते हुए नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जानी है। उल्लेखनीय है कि आपके जिलान्तर्गत जिला खनिज फाउन्डेशन के गठन से संबंधित प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है। जिसके फलस्वरूप नियमावली के अन्तर्गत निरूपित प्रावधानों पर अग्रेतर कार्रवाई अवरुद्ध है।

अतः अनुरोध है कि प्रसंगाधीन विभागीय अधिसूचना के आलोक में जिला खनिज फाउन्डेशन के न्यासी बोर्ड के गठन की कार्रवाई अविलम्ब सुनिश्चित करते हुए तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन से विभाग को अवगत कराया जाय। साथ ही नियमावली अन्तर्गत निरूपित प्रावधानों पर भी अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन

ह0 / -

प्रधान सचिव

E-mail/
Whats-ap

ज्ञापांक- प्र0-III/ वृ0 ख0-07 / 15..... / एम0, पटना, दिनांक-
प्रतिलिपि: संबंधित उपनिदेशक / संबंधित सहायक निदेशक / संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी / संबंधित खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / -

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- प्र0-III/ वृ0 ख0-07 / 15. 3048..... / एम0, पटना, दिनांक- 23/7/18
प्रतिलिपि: I.T Manager, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

AA 2017
प्रधान सचिव